भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3982
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

कर्नाटक के लिए किरोसीन का आबंटन

†3982. डॉ. के. सुधाकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कर्नाटक के जिलों में केरोसीन के लिए आबंटित और संवितरित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश भर में तेल की खोज के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए संयुक्त उद्यम हेतु दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्राकृतिक गैस समृद्ध देशों में पाइपलाइनों के माध्यम से भारत तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के संबंध में कोई परियोजनाएं चल रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या भारतीय कंपनियों ने अन्य देशों में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम परिसम्पतियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पेट्रोलियम को रणनीतिक संपत्ति के रूप में उपयोग करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार द्वारा मिट्टी तेल के लिए किसी भी प्रकार की निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार खाना पकाने और रोशनी करने के लिए तिमाही आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राजसहायता वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का आबंटन करती हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करते समय घरेलू एलपीजी/पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शनों में वृद्धि, विद्युत कवरेज, संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल कोटा न उठाने आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। पीडीएस नेटवर्क के तहत राज्य/संघ शासित प्रदेश के भीतर पीडीएस मिट्टी तेल का आगे का वितरण संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है। वितरण का पैमाना और मानदंड भी तदनुसार संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा तय किया जाता है।

(ख): सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैः

i. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।

ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015।

iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।

iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।

v. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017।

vi. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटीय बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।

vii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीतिगत ढांचा।

viii. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018.

ix. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत गैर-पंरपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।

x. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।

xi. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

xii. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा को अधिग्रहित कर रही है और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग को समर्थन दे रही है ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटीय बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ): जी, नहीं।

(ङ): भारतीय तेल एवं गैस पीएसयूज तकनीकी-वाणिज्यिक समझ के आधार पर विदेशों में अपस्ट्रीम परिसंपत्तियों में निवेश करने के अवसरों की नियमित रूप से जांच करते हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पीएसयूज ने 21 देशों में फैले हुए 45 विदेशी अपस्ट्रीम परिसंपत्तियों में निवेश किया है।

***